Newspaper : Nav Bharat Times
Edition: Delhi | Date: 3rd December, 2018 | Pg. 10

ताकि विशेष बच्चे भी दूर न रहें स्कूलों से

आज जरूरत इस बात की है कि विशेष शिक्षकों की संख्या तो बढ़ाई ही जाए, संसाधनों के विकास के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए

मोहिनी माथुर

भारत में हर सरकार के सामने बच्चों की स्कूली शिक्षा बड़ा मुद्दा रही है। समय के साथ जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ी और हर तबके ने शिक्षा की जरूरत समझी, कुछ लोग विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए भी आगे आए। कुछ दशक पहले तक इन बच्चों को स्कूलों में शिक्षा देने की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन धीरे-धीरे कुछ स्कूलों ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपने यहां दाखिला देना आरंभ किया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में विकलांग बच्चे शिक्षा से इसलिए दूर हैं, क्योंकि सामान्य स्कूलों में उन्हें आसानी से दाखिला नहीं मिलता। हालांकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में साफ प्रावधान है कि बच्चों को शिक्षा पाने का बुनियादी अधिकार है।

दरअसल शिक्षा का ये मॉडल समेकित स्कूलों में ही संभव है, जहां विकलांग व सामान्य बच्चों को एक ही सेटअप में पढ़ाया जाए, भले उनकी कक्षाएं अलग हों। समान अधिकारों की शुरुआत बच्चे के लिए चार-पांच वर्ष की आयु में होती है जब उसे स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। बच्चों के इस मूल अधिकार को ध्यान में रख कर ही आज ये मांग जोर पकड़ रही है कि समेकित स्कूलों की संख्या या तो बढ़ाई जाए या जो स्कूल अभी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उन्हीं में विकलांगता प्रभावित बच्चों को दाखिला देकर उनके लिए विशेष शिक्षक रखे जाएं।

यह देखा गया है कि एक सामान्य वातावरण में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। कहा जा सकता है कि विशेष स्कूल भी विकलांग बच्चों को विशेष प्रोग्राम के जरिए शिक्षित करते हैं, लेकिन जो स्कूल पूरी तरह 'इन्क्लूसिव' (समेकित) हैं, वो सामान्य शिक्षा व विशेष शिक्षा प्रोग्राम को अलग नहीं करते, बल्कि बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार सामान्य प्रोग्राम में ही बदलाव किया जाता है। स्कूली वातावरण सबके लिए समान रहता है - गैर अकादमिक गतिविधियां जैसे खेलकूद, सांस्कृतिक कार्य (संगीत/नृत्य) या वोकेशनल ट्रेनिंग आदि सब समान रहती है। बच्चों के सीखने के स्तर व सामान्य व्यवहार में जो अंतर आता है, उसकी वजह से

कॉमन रूम

समेकित स्कूलों की मुहिम जोर पकड़ रही है।

लेकिन संबधित व्यक्तियों, एजेंसियों व सामान्य स्टेकहोल्डर्स का अनुभव है कि इस विचारधारा को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करना कठिन है। एक तो अधिकांश माता-पिता का मानना है कि अगर उनके बच्चे के स्कूल में विकलांग बच्चे पहुंचे तो वहां का माहौल खराब होगा। इसलिए, मैनेजमेंट पर एक दबाव बना रहता है कि उन स्कूलों में विकलांग बच्चे न आएं। दूसरे, चूंकि अधिकांश विकलांग बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूलों में दाखिला उनके लिए सपना ही बना रहता है। सरकार की तरफ से हर प्राइवेट स्कूल में 25 प्रतिशत सीट गरीब परिवारों के लिए अनिवार्य है, लेकिन किसी भी कैटिगरी की विकलांगता के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। नतीजतन ये बच्चे प्राइवेट स्कूलों से वंचित रह जाते हैं।

तीसरे, समेकित शिक्षा के रास्ते में सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी बाधा है। सरकार के पास पैसा भी है और आज भी विद्यार्थियों की सबसे बड़ी संख्या सरकारी स्कूलों में ही आती है। यदि समेकित शिक्षा की अहमियत पहचानकर और ये मानकर कि विकलांग बच्चों की शिक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए तो इस मुहिम को सफलता मिलते देर नहीं लगेगी। सौभाग्य से आज विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की कमी नहीं है। पूरे देश में स्पेशल एजुकेशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं। पिछले दिनों सरकारी स्कूलों के स्पेशल टीचर्स में विकलांग बच्चों को अलग ढंग से पढ़ाने के लिए काफी उत्साह भी देखा गया। जरूरत इस बात की है कि विशेष शिक्षकों की संख्या तो बढ़ाई ही जाए, संसाधनों के विकास के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। अभी ऐसे मॉडल शहरी इलाकों में ही दिखते हैं। इन्हें अब गांवों व सुदूर क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों तक पहुंचाया जाए जिससे विकलांग बच्चे पढ़ें और बेहिचक आगे बढ़ें।